156

समक्षः— न्यायालय श्रीमान राजस्व मण्डल ग्वालियर म.प्र.

प्र.क. /17 निगरानी 111/निगरानी/श्योपुर/भूरा/2017/8788

आबिद मोहम्मद पुत्र गफूर मोहम्मद खॉन उम्र 50 साल जाति मुसलमान व्यवसाय मजदूरी निवासी जनता नगर श्योपुर म.प्र.

....निगरानीकर्ता/आवेदक

बनाम

दिलदार पुत्र मुनीर खॉ निवासी शीतला पाड़ा श्योपुर म.प्र.

....प्रत्यर्थी/अनावेदक

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म.प्र.भू.राजस्व सहिता 1959 विरूद्व न्यायालय एस.डी.ओ. श्योपुर के प्र.क. 265/12–13 बी 121 दिलदार बनाम आबिद मोहम्मद मे पारित आदेश दिनांक 31.08.17 के एवं आदेश पत्रिका दिनांक 11.10.13 के पालन मे लम्बित आवेदन दिनांक 11.10.13 के निराकरण हेतु आदेश प्रदान करने बाबत।

मान्यवर महोदय

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि म.प्र.नगरीय क्षेत्रो के भूमिहीन व्यक्ति (पटटा धूति अधिकारो का प्रदान किया जाना अधिनियम 1984) के अन्तर्गत निगरानीकर्ता आवेदक को वर्ष 1998 मे आवासीय पटटा प्रदान किया गया था जिसके 15 वर्ष पश्चात 26.08.13 को अनावेदक ने आवेदक का पटटा निरस्ती हेतु अधिनस्थ न्यायालय एस.डी.औ के समक्ष आवेदन प्रस्तुत किया जिस पर आवेदक निगरानीकर्ता ने दिनांक 11.10.13 को एक आवेदन प्रस्तुत कर अवधि बाबत यह आपत्ति उठाई की अधिनियम के अनुसार दिये गये पटटे के विरूद्व कार्यवाही हेतु नियत अवधि 30 दिवस पश्चात कोई आवेदन ग्रहण किये जाने योग्य नही है अनावेदक द्वारा 15 वर्ष

पक्ष प्रत्यर्थी

रस्त होने योग्य है।

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

भाग–अ

प्रकरण कमांक तीन–निगरानी/श्योपुर/भू0रा0/2017/3788

स्थान दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषक आदि के हस्ताक्षर
27-10-2017	अनुविभागीय अधिकारी, श्योपुर के प्रकरण कमांक 265/12-13 बी 121 में लिखी गई आर्डरशीट दिनांक 11-10-13, 31-8-17 के विरूद्ध म0प्र0भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत यह निगरानी प्रस्तुत की गई है। निगरानी की प्रचलनशीलता पर आवेदक के अभिभाषक के प्रारंभिक तर्क सुने तथा प्रस्तुत अभिलेख का अवलोकन किया गया। 2/ आवेदक के अभिभाषक के प्रारंभिक तर्को पर विचार करने एंव प्रस्तुत अभिलेख के अवलोकन से परिलक्षित है कि अनुविभागीय अधिकारी, श्योपुर के प्रकरण कमांक 265/13-13 बी 121 में लिखी गई आर्डरशीट दिनांक 11-10-13 के अनुसार प्रवाचक ने उभय पक्ष के उपस्थित होने पर पीठासीन अधिकारी की उपस्थिति में प्रकरण पेश करने हेतु उभय पक्ष को पेशी 12-11-13 दी है, जिसके कारण प्रवाचक द्वारा अंकित आर्डरशीट महत्वहीन है । 4/ जहॉ तक आर्डरशीट दिनांक 31-8-17 में दिये गये अंतरिम आदेश का प्रश्न है वह इस प्रकार है :- " प्रकरण पेश । आवे0 उप0 नहीं । प्रकरण स्थल निरीक्षण हेतु । " स्पष्ट है कि अनुविभागीय अधिकारी ने आवेदक के अनुपस्थित रहने के वावजूद न्यायदान की दृष्टि से स्थल निरीक्षण हेतु 27-9-17 की तिथि नियत की है जिसमें किसी प्रकार की त्रृटि नहीं है। फलतः अंतरिम दिनांक 31-8-17 हस्तक्षेप योग्य नहीं है जिसके कारण निगरानी सारहीन होने से इसी-स्तर पर निरस्त की जाती है। सदस्य	